



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170]
No. 170]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 17, 2007/श्रावण 26, 1929
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 17, 2007/SRAVANA 26, 1929

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2007

सं. 1-सीए(7)/102/2007(अ).—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 में और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप संशोधनों को, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 30 की उप-धारा (3) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खंड 4, तारीख 26 अप्रैल, 2007 में भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की अधिसूचना सं.1/सीए(7)/102/2007(अ), तारीख 26 अप्रैल, 2007 के अधीन पृष्ठ 1 से 18 पर प्रकाशित किया गया था;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से पैंतालिस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप या सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 27 अप्रैल, 2007 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप संशोधनों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों पर भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् द्वारा विचार किया गया है और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया है;

अतः अब परिषद्, उक्त अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. (i) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) विनियम, 2007 है।
(ii) ये विनियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना के अंतिम रूप से प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के,-
(i) विनियम 43 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“43. आर्टीकल सहायकों का नियोजन

- (1) इन विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें परिषद् इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, केवल एसोशिएट या किसी फैलो के रूप में पदाभिहित ऐसा कोई सदस्य, जो भारत में या कहीं अन्यत्र निरंतर वृत्ति में है या

कोई ऐसा एसोशिएट या फ़ैलो, जिसे अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण के अर्थान्तर्गत वृत्ति में माना गया है, आर्टिकल सहायक नियोजित करने के लिए पात्र होगा :

परंतु यह कि भारत से बाहर वृत्ति करने वाले किसी एसोशिएट या फ़ैलो के मामले में परिषद् ऐसे अतिरिक्त निबंधन और शर्तें अधिरोपित कर सकेगी, जिन्हें वह उचित समझे ।

(2) उपविनियम (1) के अंतर्गत आने वाला कोई एसोशिएट या फ़ैलो उतनी संख्या में और ऐसे निबंधनों तथा शर्तों के अधीन आर्टिकल सहायकों को प्रशिक्षण देने के लिए हकदार होगा जो नीचे दी गई सारणी 1 और 2 में विनिर्दिष्ट हैं :

सारणी - 1

(अपने व्यक्ति नाम या स्वत्वधारी के रूप में या भागीदार के रूप में चार्टर्ड एकाउंटेंट की वृत्ति में व्यवसाय करने वाले सदस्यों को लागू)

प्रवर्ग	निरंतर व्यवसाय करने की अवधि	आर्टिकल सहायक या सहायकों की हकदारी
(i)	3 वर्ष की निरंतर अवधि तक व्यवसाय करने वाला कोई एसोशिएट या फ़ैलो	1
(ii)	3 वर्ष से 5 वर्ष की निरंतर अवधि तक व्यवसाय करने वाला कोई एसोशिएट या फ़ैलो	3
(iii)	5 वर्ष से 10 वर्ष की निरंतर अवधि तक व्यवसाय करने वाला कोई एसोशिएट या फ़ैलो	7
(iv)	10 वर्ष से अधिक की निरंतर अवधि तक व्यवसाय करने वाला कोई एसोशिएट या फ़ैलो	10

सारणी- 2

(ऐसे सदस्यों को लागू जो किसी व्यवसायगत चार्टर्ड एकाउंटेंट या ऐसे चार्टर्ड एकाउंटेंटों की किसी फर्म के अधीन पूर्णकालिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी हैं)

प्रवर्ग	इस बात पर ध्यान न देते हुए कि वे एसोशिएट अथवा फ़ैलो हैं - पूर्णकालिक वेतन प्राप्त कर्मचारियों की संख्या	आर्टिकल सहायक या सहायकों की हकदारी
(i)	100 तक	1 प्रति कर्मचारी
(ii)	101 और 500 के बीच	100 + 100 से अधिक ऐसे कर्मचारियों की संख्या का 50% (अर्थात् अधिकतम 300)
(iii)	501 या अधिक	300 + 500 से अधिक ऐसे कर्मचारियों की संख्या का 20%

(3) इस विनियम के अधीन आर्टिकल सहायक या आर्टिकल सहायकों को नियोजित और प्रशिक्षित करने की हकदारी निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

(i) कोई पूर्णकालिक वेतन प्राप्त कर्मचारी किसी आर्टिकल सहायक को नियोजित और प्रशिक्षित करने के लिए केवल तभी हकदार होगा यदि वह बारह मास की निरंतर अवधि से उसी नियोजक के नियोजन में है ।

(ii) ऐसा कोई सदस्य, जो व्यवसाय में नहीं रहता है या अपनी भागीदारी से त्यागपत्र दे देता है या किसी व्यवसायगत चार्टर्ड एकाउंटेंट या ऐसे चार्टर्ड एकाउंटेंटों की फर्म के अधीन वेतन सहित नियोजन को छोड़ देता है या जिसके पास, यथास्थिति, व्यवसाय या वेतन सहित नियोजन छोड़े जाने के समय एक या अधिक आर्टिकल सहायक हैं, ऐसे समय तक किसी आर्टिकल सहायक को लेने का हकदार नहीं होगा, यदि वह तत्पश्चात् व्यवसाय आरंभ करता है या व्यवसायगत चार्टर्ड एकाउंटेंट या ऐसे चार्टर्ड एकाउंटेंटों की फर्म के अधीन वेतन सहित नियोजन प्राप्त करता है, जब तक कि उसके अधीन पूर्व में सेवा करने वाले आर्टिकल सहायक, उसके अधीन सेवा किए जाने के लिए आशयित आर्टिकल की ऐसी अवधि को पूरा नहीं कर लेते, जो यदि वह अपना व्यवसाय या वेतन सहित नियोजन नहीं छोड़ता तो उस स्थिति में पूरी की जाती ।

(iii) कोई सदस्य केवल तभी किसी आर्टिकल सहायक को नियोजित और प्रशिक्षित करने का हकदार होगा, यदि वह व्यवसाय में है और परिषद् की राय में ऐसा व्यवसाय उसका प्रमुख व्यवसाय है और इस उपविनियम के प्रयोजनों के लिए, ऐसे वर्षों की संख्या को, जिसके लिए कोई सदस्य निरंतर व्यवसाय में था, अभिनिश्चित करने के लिए ऐसे वर्षों की संख्या पर ही विचार किया जाएगा जिनके संबंध में सदस्य की वृत्ति उसका प्रमुख व्यवसाय था :

परंतु यह कि परिषद्, अपने विवेक से व्यवसाय की निरंतरता में किसी ऐसे व्यवधान को, जिसकी अवधि कुल मिलाकर 182 दिवसों से अधिक न हो, माफ कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण - इस उपविनियम के प्रयोजन के लिए, ऐसा कोई सदस्य जो विनियम 51 और 72 के अधीन अनुमोदित किसी एक या अधिक वित्तीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रमों में न्यूनतम छह वर्ष की अवधि के लिए नियोजन में रहने के पश्चात् अपने मुख्य व्यवसाय के रूप में वृत्ति आरंभ करता है, तीन वर्ष से निरंतर वृत्ति में समझा जाएगा ।

(4) इस विनियम के अधीन आर्टिकल सहायकों को प्रशिक्षित करने की किसी सदस्य की हकदारी ऐसे विनिश्चयों के अधीन होगी, जो परिषद् द्वारा विनियम 67 के अधीन किए जाएं ।”;

(ii) विनियम 44 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ 44. सदस्यों द्वारा भारत से बाहर किसी लेखा कर्म संस्था या निकायों की किन्हीं उपविधियों के अधीन आर्टिकल सहायक नियोजित न किया जाना,-

विनियम 43 के अधीन आर्टिकल सहायकों को नियोजित और प्रशिक्षित करने के लिए हकदार कोई सदस्य, किसी अन्य संस्थान या सोसाएटी या निकाय की उपविधियों के अधीन किसी अन्य आर्टिकल लिपिक, आर्टिकल सहायक या शिक्षु को, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, नियोजित नहीं करेगा :

परंतु यह कि ऐसा कोई सदस्य ऐसे किसी व्यक्ति को नियोजित कर सकेगा, जो किसी ऐसी लेखा कर्म संस्थाओं या निकायों में छात्र के रूप में रजिस्ट्रीकृत रहा है, जिसका प्रशिक्षण परिषद् द्वारा अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (v) के अधीन संस्थान के सदस्यों के लिए विहित प्रशिक्षण के समतुल्य के रूप में मान्यताप्राप्त है।”;

(iii) विनियम 45 के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ (क) वह विनियम 43 के अधीन आर्टिकल सहायकों को प्रशिक्षित करने के लिए हकदार है और उसका वृत्तिक व्यवसाय या यदि वह व्यवसायरत किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट या ऐसे चार्टर्ड एकाउंटेंटों की फर्म का कर्मचारी है तो उसके नियोजक का व्यवसाय आर्टिकल सहायकों को प्रशिक्षण देने के प्रयोजन के लिए उचित है ; और”;

(iv) विनियम 48 के उपविनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ (1) विनियम 43 के अधीन आर्टिकल सहायक या सहायकों को नियोजित और प्रशिक्षित करने वाला प्रत्येक प्रिंसिपल ऐसे सहायक को प्रत्येक मास नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट दरों पर एक न्यूनतम मासिक वृत्तिका का संदाय करेगा :

सारणी

आर्टिकल सहायक की सेवा के सामान्य स्थान का वर्गीकरण (1)	प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष के दौरान (2)	प्रशिक्षण के द्वितीय वर्ष के दौरान (3)	प्रशिक्षण की शेष अवधि के दौरान (4)
(i) बीस लाख या अधिक की जनसंख्या वाले नगर/शहर	1000/- रु.	1250/- रु.	1500/- रु.
(ii) चार लाख या अधिक की किन्तु बीस लाख से कम जनसंख्या वाले नगर/शहर	750/- रु.	1000/- रु.	1250/- रु.
(iii) चार लाख से कम की जनसंख्या वाले नगर/शहर	500/- रु.	750/- रु.	1000/- रु.

स्पष्टीकरण 1 - इस विनियम के प्रयोजनों के लिए ली गई अधिक छुट्टी के लिए कोई वृत्तिका संदेय नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण 2 - इस विनियम के अधीन संदेय वृत्तिका के अवधारण के प्रयोजनों के लिए, किसी पूर्ववर्ती प्रिंसिपल या प्रिंसिपलों के अधीन छात्र की आर्टिकल प्रशिक्षण की अवधि (जो 1 जुलाई, 1973 से पूर्व की कोई अवधि नहीं है) को भी गणना में लिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 3 - इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, जनसंख्या के आंकड़े अंतिम प्रकाशित भारत की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार लिए जाएंगे।”;

(v) विनियम 53 के उपविनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ (1) भारतीय मूल का ऐसा कोई व्यक्ति, जो न्यूनतम पांच वर्षों की अवधि के लिए विदेश का नागरिक या स्थाई निवासी रहा है और जो भारत को प्रवास करता है और इस बात का सबूत उपलब्ध कराता है कि केवल प्रवास के कारण से वह ऐसी अन्य परीक्षा या परीक्षाएं उत्तीर्ण करने में या भारत से बाहर ऐसा अन्य प्रशिक्षण पूरा करने में असमर्थ रहा है जो अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (v) के अधीन परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त लेखा संकर्म संस्थाओं या निकायों द्वारा विहित किया गया है और परिषद् के समाधानप्रद रूप में यह भी साबित करता है कि वह स्थाई रूप से भारत में निवास करने का और भारतीय नागरिकता अभिप्राप्त करने का आशय रखता है तो ऐसे सदस्य को परीक्षा या व्यवहारिक प्रशिक्षण के मामले में ऐसी रियायत या छूट दी जा सकेगी, जिसे परिषद् उचित समझती है, बशर्ते परिषद् का स्वयं का यह समाधान हो गया हो कि उस देश में उत्तीर्ण परीक्षा या परीक्षाएं या प्रशिक्षण संस्थान के सदस्यों के लिए विहित परीक्षा या परीक्षाओं या प्रशिक्षण के समतुल्य हैं।”;

(vi) विनियम 54 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“ 54क. भारत से बाहर लेखा कर्म संस्थाओं या निकायों के पात्र सदस्यों के अधीन व्यवहारिक प्रशिक्षण,-

(1) कोई प्रिंसिपल, आर्टिकल सहायक की सहमति से, उसे छह मास से अनधिक की अवधि के लिए, सुसंगत कानूनों के अधीन संबंधित देशों में गठित किसी संस्था या निकाय आदि की उपविधियों के अधीन किसी आर्टिकल लिपिक या आर्टिकल सहायक या शिक्षु को नियोजित तथा प्रशिक्षित करने के लिए पात्र किसी सदस्य के पास तैनात कर सकेगा ।

(2) विनियम 50 के प्रयोजन के लिए प्रशिक्षण की ऐसी अवधि को आर्टिकल सहायक के रूप में सेवा माना जाएगा ।

(3) प्रशिक्षण की ऐसी अवधि के दौरान विनियम 48 के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

(4) प्रिंसिपल विनियम 64 के अधीन परिषद् को दी जाने वाली रिपोर्ट में ऐसे प्रशिक्षण की विशिष्टियों को सम्मिलित करेगा ।

(5) ऐसे प्रशिक्षण के लिए आर्टिकल के किसी विलेख को निष्पादित करने की या इस संबंध में संस्थान को कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं है ।

55. प्रिंसिपल की प्रास्थिति में परिवर्तन

(1) जहां किसी व्यवसायरत चार्टर्ड एकाउंटेंट या ऐसे चार्टर्ड एकाउंटेंटों की फर्म का कोई वेतन प्राप्त कर्मचारी स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय स्थापित करता है, वहां, यथास्थिति, उसका या उसके आर्टिकल सहायक, उसके द्वारा स्वतंत्र रूप से व्यवसाय स्थापित करने की तारीख से उसके साथ रहेंगे बशर्ते कि वह विनियम 43 के अधीन आर्टिकल सहायक या सहायकों को प्रशिक्षित करने के लिए हकदार हो :

परंतु यह कि परिषद् का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, किसी समुचित मामले में यह निदेश दे सकेगा कि आर्टिकल सहायक, यथास्थिति, व्यवसायरत किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट या ऐसे चार्टर्ड एकाउंटेंटों की फर्म की सेवा में रहेगा ।

35/41/62/07-2

(2) जहां पूर्वोक्त वेतन प्राप्त कर्मचारी स्वतंत्र रूप से व्यवसाय स्थापित नहीं करता है या वह विनियम 43 के अधीन आर्टिकल सहायक या सहायकों को प्रशिक्षित करने के लिए हकदार नहीं है, वहां आर्टिकल सहायक, व्यवसायगत ऐसे चार्टर्ड एकाउंटेंट की सेवा में रहेंगे, जिसने द्वितीय प्रिंसिपल के रूप में विनियम 46 के उपविनियम (1) के अधीन यथाअपेक्षित आर्टिकल विलेख का निष्पादन किया है। विनियम 46 के उपविनियम (1) का उपबंध ऐसे किसी मामले को लागू नहीं होगा, किन्तु परिषद् द्वारा अनुमोदित प्ररूप में एक विवरण सचिव को रजिस्ट्रीकरण के लिए इस प्रकार भेजा जाएगा कि वह प्रिंसिपल की प्रास्थिति में परिवर्तन के तीस दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर पहुंच सके, जिसे सचिव द्वारा अवधारित किया जाए।

(3) उपविनियम (1) या उपविनियम (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक मामले में आर्टिकल सहायक द्वारा कोई फीस संदेय नहीं होगी।”;

(vii) विनियम 56 के उपविनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(1) इन विनियमों के अधीन विहित आर्टिकल प्रशिक्षण की पूर्ण अवधि के लिए आर्टिकल विलेख का निष्पादन करने वाले प्रत्येक आर्टिकल सहायक से केवल ऐसे सदस्य के साथ ऐसा आर्टिकल पूरा करने की अपेक्षा की जाएगी, जिसने उसे नियोजित किया है :

परंतु यह कि इस प्रकार नियोजित आर्टिकल, आर्टिकल सहायक और उसके प्रिंसिपल के बीच करार द्वारा, ऐसी आपवादिक परिस्थितियों या स्थितियों के अधीन समाप्त किया जा सकेगा, जिसका विनिश्चय परिषद् द्वारा किया जाए :

परंतु यह और कि ऐसे मामले में, जहां प्रिंसिपल ने आर्टिकल के पूरा होने या उसकी समाप्ति पर, तुरंत विनियम 61 के अधीन विहित प्रमाणपत्र जारी नहीं किया है, वहां आर्टिकल सहायक सचिव को रजिस्ट्रीकृत या त्वरित डाक द्वारा संसूचना देते हुए प्रिंसिपल को इस प्रकार आर्टिकल पूरा होने या समाप्त होने के 15 दिन के भीतर परिषद् द्वारा अनुमोदित प्ररूप में ऐसा सेवा प्रमाणपत्र जारी किए जाने के लिए एक अनुरोध करेगा और प्रिंसिपल किसी भी दशा में इस प्रकार आर्टिकल पूरा होने या समाप्त होने के तीन मास के भीतर सेवा प्रमाणपत्र जारी करेगा :

परंतु यह भी कि ऐसे मामलों में जहां ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पंद्रह दिन के अवसान के भीतर सचिव को ऐसा कोई प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता है, वहां यह माना जाएगा कि आर्टिकल सहायक द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख को प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है और इस प्रभाव की एक संसूचना प्रिंसिपल को भेजी जाएगी।

(viii) विनियम 57 के उपविनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(4) ऊपर उपविनियम (1) या उपविनियम (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक मामले में, विनियम 46 के उपबंध ‘यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित’ लागू होंगे, सिवाए इसके कि आर्टिकल सहायक द्वारा कोई फीस संदेय नहीं होगी :

परंतु यह कि ऐसे मामलों में, किसी अन्य प्रिंसिपल के अधीन अतिरिक्त आर्टिकल सहायक के रूप में लिए जाने हेतु अनुमति के लिए अनुरोध इस प्रकार भेजा जाता है, जिससे कि वह सचिव को तीस दिन के भीतर प्राप्त हो सके तथा परिषद् द्वारा अनुमोदित प्ररूप में एक विवरण इस प्रकार

सचिव को भेजा जाता है जिससे कि वह सचिव को, ऐसी अनुमति प्रदान करने वाले सचिव के पत्र की तारीख से तीस दिन के भीतर पहुंच सके :

परंतु यह और कि उपविनियम (1) के प्रवर्ग (ग) के अंतर्गत आने वाले किसी मामले में किसी नए आर्टिकल के अधीन प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तारीख, प्रिंसिपल की मृत्यु की तारीख से आगामी तारीख मानी जाएगी।”;

(ix) विनियम 59 में,-

(क) उपविनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ (2) ऐसा कोई आर्टिकल सहायक, जिसने अपना आर्टिकल आरंभ होने से पूर्व लेखा परीक्षा सहायक के रूप में कार्य किया है, इस विनियम के अधीन अर्जित अवकाश के अतिरिक्त, अधिकतम तीन मास के अधीन रहते हुए ऐसे अर्जित अवकाश से आधे अवकाश के लिए भी हकदार होगा जिसे लेखा परीक्षा सहायक के रूप में उपयोग नहीं किया गया था।”;

(ख) उपविनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ (4) संस्थान की किसी परीक्षा की तैयारी करने के प्रयोजनों के लिए, आर्टिकल सहायक को प्रिंसिपल द्वारा तीन मास का या शोध की सीमा तक, जो भी कम हो, अवकाश प्रदान किया जाएगा, परंतु यह कि अवकाश के लिए आवेदन कम से कम पंद्रह दिन अग्रिम में किया गया हो।”;

(ग) स्पष्टीकरण - (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ स्पष्टीकरण - (1) संदेहों के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रिंसिपल की सहमति से किसी आर्टिकल सहायक की ऐसे किसी सम्मेलन में, जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय परिषद् या छात्र एसोसिएशन या क्षेत्रीय परिषद की किसी शाखा सहित संस्थान द्वारा सहायकों के फायदे के लिए आयोजित सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संबंधी कोई पाठ्यक्रम और साधारण प्रबंधन तथा बातचीत में दक्षता संबंधी कोई पाठ्यक्रम या संगोष्ठी भी है, उपस्थिति को आर्टिकलों के अधीन वास्तविक रूप से सेवा की गई अवधि के रूप में माना जाएगा।”;

(x) विनियम 60 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ 60. आर्टिकल सहायक के कार्य घंटे -

किसी आर्टिकल सहायक के न्यूनतम कार्य घंटे 35 घंटे प्रति सप्ताह (दोपहर के भोजनावकाश को छोड़कर) होंगे, जिन्हें समय-समय पर प्रिंसिपल द्वारा ऐसे निदेशों और दिशानिर्देशों के अधीन रहते हुए विनियमित किया जाएगा, जिन्हें परिषद् द्वारा जारी किया जाए।”;

(xi) विनियम 64 के उपविनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ (1) आर्टिकल सहायकों को प्रशिक्षण देने वाला प्रिंसिपल यह सुनिश्चित करेगा कि दिया गया प्रशिक्षण इस प्रकार का हो कि वृत्ति की गुणवत्ता और गरिमा न केवल बनी रहे अपितु उसमें वृद्धि भी हो। इस प्रयोजन के लिए, वह उसके द्वारा आर्टिकल सहायक को दिए गए प्रशिक्षण की प्रगति और प्रकृति का अभिलेख ऐसे प्ररूप और रीति में रखेगा, जिसे परिषद् द्वारा अवधारित किया जाए।”;

(xii) विनियम 66 के उपविनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ (1) जहां किसी आर्टिकल सहायक के विरुद्ध उसके प्रिंसिपल या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी दुराचार या विनियम 65 के उल्लंघन या आर्टिकल सहायक को लागू आचार संहिता के उल्लंघन या आर्टिकल में अंतर्विष्ट किसी प्रसंविदा के उल्लंघन के संबंध में शिकायत या सूचना प्राप्त होती है वहां अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जैसा कि कार्यपालक समिति समय समय पर विनिश्चय करे, अन्वेषण करा सकेगा।”;

(xiii) विनियम 74 के-

(क) उपविनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ (2) ऐसा कोई लेखा-परीक्षा सहायक, जिसने अपनी लेखा-परीक्षा सेवा आरंभ होने से पूर्व लेखा-परीक्षा सहायक के रूप में कार्य किया है, इस विनियम के अधीन अर्जित अवकाश के अतिरिक्त, अधिकतम तीन मास के अधीन रहते हुए ऐसे अर्जित अवकाश से आधे अवकाश के लिए भी हकदार होगा जिसका उसने लेखा-परीक्षा सहायक के रूप में उपयोग नहीं किया गया था।”

(ख) उपविनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ (4) संस्थान की किसी परीक्षा की तैयारी करने के प्रयोजनों के लिए, लेखा-परीक्षा सहायक को प्रिंसिपल द्वारा तीन मास का या शोध की सीमा तक, जो भी कम हो, अवकाश प्रदान किया जाएगा, परंतु यह कि अवकाश के लिए आवेदन कम से कम पंद्रह दिन अग्रिम में किया गया हो।”;

(ग) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ स्पष्टीकरण - संदेहों के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रिंसिपल की सहमति से किसी लेखा-परीक्षा सहायक की ऐसे किसी सम्मेलन में, जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय परिषद् या छात्र एसोसिएशन या क्षेत्रीय परिषद की किसी शाखा सहित संस्थान द्वारा सहायकों के फायदे के लिए आयोजित सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संबंधी कोई पाठ्यक्रम और साधारण प्रबंधन तथा बातचीत में दक्षता संबंधी कोई पाठ्यक्रम या संगोष्ठी भी है, उपस्थिति को लेखा-परीक्षा सहायक के रूप में वास्तविक रूप से सेवा की गई अवधि के रूप में माना जाएगा।”;

(xiv) विनियम 79 के उपविनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ (1) जहां किसी लेखा-परीक्षा सहायक के विरुद्ध उसके नियोजक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी दुराचार या विनियम 78 के उल्लंघन या लेखा-परीक्षा सहायक को लागू आचार संहिता के उल्लंघन या लेखा-परीक्षा में अंतर्विष्ट किसी प्रसंविदा के उल्लंघन के संबंध में शिकायत या सूचना प्राप्त होती है वहां अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जैसा कि कार्यपालक समिति समय समय पर विनिश्चय करे, अन्वेषण करा सकेगा।” ।

डॉ. अशोक हल्दिया, सचिव

[विज्ञापन III/IV/104/2007/असा.]

टिप्पण : मूल विनियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 1 जून, 1988 में सं.1-सीए(7)/134/88, तारीख 1 जून, 1988 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् इनमें निम्नलिखित संख्याओं द्वारा संशोधन किए गए थे :-

(i) भारत के राजपत्र, तारीख 7 अक्टूबर, 1989 में प्रकाशित अधिसूचना सं.1-

सीए(7)/1/89

- (ii) भारत के राजपत्र, तारीख 19 जनवरी, 1991 में प्रकाशित अधिसूचना सं.1-सीए(7)/10/90
- (iii) भारत के राजपत्र, तारीख 19 जनवरी, 1991 में प्रकाशित अधिसूचना सं.1-सीए(7)/11/90
- (iv) भारत के राजपत्र, तारीख 23 फरवरी, 1991 में प्रकाशित अधिसूचना सं.1-सीए(7)/12/91
- (v) भारत के राजपत्र, तारीख 2 फरवरी, 1991 में प्रकाशित अधिसूचना सं.1-सीए(7)/13/90
- (vi) भारत के राजपत्र, तारीख 7 मार्च, 1992 में प्रकाशित अधिसूचना सं.1-सीए(7)/19/92
- (vii) भारत के राजपत्र, तारीख 1 सितम्बर, 1995 में प्रकाशित अधिसूचना सं.1-सीए(7)/28/95
- (viii) भारत के राजपत्र, तारीख 13 मार्च, 1996 में प्रकाशित अधिसूचना सं.1-सीए(7)/30/95
- (ix) भारत के राजपत्र, तारीख 16 अगस्त, 1997 में प्रकाशित अधिसूचना सं.1-सीए(7)/31/97
- (x) भारत के राजपत्र, तारीख 26 फरवरी, 2000 में प्रकाशित अधिसूचना सं.1-सीए(7)/44/99
- (xi) भारत के राजपत्र, तारीख 26 फरवरी, 2000 में प्रकाशित अधिसूचना सं.1-सीए(7)/45/99
- (xii) भारत के राजपत्र, तारीख 17 अगस्त, 2001 में प्रकाशित अधिसूचना सं.1-सीए(7)/51/2000
- (xiii) भारत के राजपत्र, तारीख 28 सितम्बर, 2001 में प्रकाशित अधिसूचना सं.1-सीए(7)/59/2001
- (xiv) भारत के राजपत्र, तारीख 31 मार्च, 2003 में प्रकाशित अधिसूचना सं.1-सीए(7)/64/2002
- (xv) भारत के राजपत्र, तारीख 4 दिसम्बर, 2003 में प्रकाशित अधिसूचना सं.1-सीए(7)/64ए/2003
- (xvi) भारत के राजपत्र, तारीख 28 जुलाई, 2005 में प्रकाशित अधिसूचना सं.1-सीए(7)/83/2005
- (xvii) भारत के राजपत्र, तारीख 17 जून, 2006 में प्रकाशित अधिसूचना सं.1-सीए(7)/84/2005

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th August, 2007

No. 1-CA(7)/102/2007 (E).—Whereas certain draft amendments further to amend the Chartered Accountants Regulations, 1988, were published by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, as required by sub-section (3) of Section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) at pages 1 to 18 of the Gazette of India (Extraordinary), Part III Section 4, dated the 26th April, 2007 under the notification of the Institute of Chartered Accountants of India No.1/CA(7)/102/2007(E), dated 26th April, 2007;

And whereas objections and suggestions were invited before the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the said Gazette were made available to the public;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 27th April, 2007;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft amendments have been considered by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India and approved by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 of the said Act, the Council, with the approval of the Central Government, hereby, makes the following amendments in the Chartered Accountants Regulations, 1988, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 2007;
- (2) They shall come into force from the date of final publication of the notification in the Official Gazette.
2. In the Chartered Accountants Regulations, 1988, -
 - (i) for regulation 43, the following regulation shall be substituted, namely:-

“43. Engagement of Articled Assistants

(1) Subject to the provisions of these Regulations and subject to such terms and conditions, as the Council may deem fit to impose in this behalf, the members designated as an associate or a fellow, who has been in practice continuously, whether in India or elsewhere or an associate or a fellow, who is deemed to be in practice within the meaning of Explanation to

sub-section (2) of section 2 of the Act, shall only be eligible to engage an articled assistant or assistants:

Provided that in the case of an associate or a fellow practising outside India, the Council may impose such additional terms and conditions as it may deem fit.

(2) An associate or a fellow, covered by sub-regulation (1), shall be entitled to train such number of articled assistant or assistants, under such terms and conditions, as are specified in Tables I and II given hereinafter:

TABLE-I

(Applicable to members practising the profession of chartered accountants in his individual name or as proprietor or as partner)

Category	Period of continuous practice	Entitlement of articled assistant or assistants
(i)	An associate or fellow in continuous practice for a period upto 3 years	1
(ii)	An associate or fellow in continuous practice for any period from 3 years to 5 years	3
(iii)	An associate or fellow in continuous practice for any period from 5 years to 10 years	7
(iv)	An associate or fellow in continuous practice for any period from 10 years	10

TABLE-II

(Applicable to members who are in full time salaried employment under a chartered accountant in practice or a firm of such chartered accountants)

Category	Number of full time salaried employees – irrespective of whether associate or fellow	Entitlement of articled assistant or assistants
(i)	Upto 100	1 per employee
(ii)	Between 101 and 500	100 + 50% of the number of such employees above 100 (i.e., a maximum of 300)
(iii)	From 501 or more	300 + 20% of the number of such employees above 500

(3) The entitlement to engage and train articled assistant or articled assistants under this regulation shall be subject to following conditions:-

(i) a full-time salaried employee shall be eligible to engage and train an articled assistant only if he has been in employment with the same employer for a continuous period of twelve months.

(ii) a member who ceases to be in practice or resigns his partnership or gives up salaried employment under a chartered accountant in practice or a firm of such chartered accountants and who, at the time of discontinuance of practice or paid employment, as the case may be, has one or more articled assistants serving under him, shall not be eligible to take any articled assistant, if he subsequently sets up practice or takes up salaried employment under a chartered accountant in practice or a firm of such chartered accountants, until such time as the articled assistant or assistants serving under him previously complete the period of articles intended to be served under him, had he not given up his practice or the salaried employment.

(iii) a member shall be entitled to engage and train an articled assistant only if he is in practice and such practice, in the opinion of the Council, is his main occupation and for the purposes of this sub-regulation, in ascertaining the number of years for which a member was in continuous practice, only the number of years in respect of which the member's practice was his main occupation shall be considered:

Provided that the Council may, in its discretion, condone any break in the continuity of practice, for a period not exceeding 182 days in the aggregate.

Explanation – For the purpose of this sub-regulation, a member who sets up practice, with practice as his main occupation, after having been in employment for a minimum period of six years in one or more financial, commercial or industrial undertakings approved under regulations 51 and 72, shall be deemed to have been in continuous practice for three years.

(4) The entitlement of a member to train articled assistants under this regulation shall be subject to such decisions as may be made by the Council under regulation 67.”;

(ii) for regulation 44, the following regulation shall be substituted, namely:-

“44. Members not to engage articled assistants under the bye-laws of any of the accountancy institutions or bodies outside India.-

A member entitled to engage and train articled assistants, under regulation 43, shall not engage any other articled clerk, articled assistant or apprentice, by whatever name called, under the bye-laws of any other Institute or Society or Body:

Provided that such a member may engage any person who has been registered as a student with any of the accountancy institutions or bodies whose training is recognized by the Council as being equivalent to the

training prescribed for members of the Institute under clause (v) of sub-section (1) of section 4 of the Act.”;

(iii) in regulation 45, for clause (a), the following shall be substituted, namely:-

“(a) he is entitled to train articled assistants under regulation 43, and his professional practice or that of his employer, if he is an employee of chartered accountant in practice or a firm of such chartered accountants, is suitable for the purpose of training articled assistants; and”;

(iv) in regulation 48, for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely:-

“(1) Every principal engaging and training articled assistant or assistants, under regulation 43, shall pay every month to such assistant a minimum monthly stipend, at the rates specified in the Table below:

Table

Classification of the normal place of service of the articled assistant (1)	During the first year of training (2)	During the second year of training (3)	During the remaining period of training (4)
(i) Cities/towns having a population of twenty lakhs and above.	Rs. 1000/-	Rs. 1250/-	Rs. 1500/-
(ii) Cities/towns having a population of four lakhs and above but less than twenty lakhs.	Rs. 750/-	Rs. 1000/-	Rs. 1250/-
(iii) Cities/towns having a population of less than four lakhs.	Rs. 500/-	Rs. 750/-	Rs. 1000/-

Explanation 1— For the purposes of this regulation, no stipend shall be payable for any excess leave taken.

Explanation 2— For the purposes of determining the rates at which stipend is payable under this regulation, the period of articled training of the student under any previous principal or principals (not being any such period prior to 1st July, 1973) shall also be taken into account.

Explanation 3— For the purposes of this regulation, the figures of population shall be taken as per the last published Census Report of India.”;

(v) in regulation 53, for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely:-

3541 GI/02-4

"(1) A person of Indian origin, who has been a citizen of or a permanent resident in a foreign country for a minimum period of five years and who migrates to India and provides satisfactory proof that merely by reason of migration, he has not been able to pass such other examination or examinations or complete such other training outside India prescribed by any of the accountancy institutions or bodies, as are recognised by the Council under clause (v) of sub-section (1) of section 4 of the Act and also proves to the satisfaction of the Council that he intends to settle down permanently in India and obtains Indian citizenship, may be given such concession or relaxation in the matter of examination or practical training, as the Council deems fit, provided the Council is itself satisfied that the examination or examinations passed or training undergone in that country are equivalent to the examination or examinations or training prescribed for the members of the Institute.";

(vi) after regulation 54, the following regulations shall be inserted, namely:-

"54A. Practical Training under eligible members of Accountancy Institutions or Bodies outside India.- (1) A principal, with the consent of the articled assistant, may depute the latter for training for a period not exceeding six months to a member eligible to engage and train an articled clerk or articled assistant or apprentice, by whatever name called, under the bye-laws of an institution or body etc. set up in the respective countries under the relevant Statutes.

(2) For the purpose of regulation 50, such period of training shall be deemed to be service as an articled assistant.

(3) During such period of training the provisions of regulation 48 shall not apply.

(4) The principal shall include the particulars of such training in the report to the Council under regulation 64.

(5) No deed of Articles need be executed for such training nor any intimation need be sent to the Institute in this regard.;

55. Change of status of Principal.- (1) Where a salaried employee of a chartered accountant in practice or a firm of such chartered accountants set up practice independently, the articled assistant or articled assistants engaged by him, as the case may be, shall continue to remain engaged with him from the date of setting up practice independently provided he is entitled to train the articled assistant or the articled assistants under regulation 43:

Provided that the President or the Vice-President of the Council may, in an appropriate case, direct that the articled assistant shall serve the chartered accountant in practice or the firm of such chartered accountants, as the case may be.

(2) Where the salaried employee aforesaid does not set up practice independently or he is not entitled to train the articled assistant or the articled assistants under regulation 43, the articled assistant or articled assistants, as the case may be, shall serve the chartered accountant in practice who has executed the deed of articles as required under sub-

regulation (1) of regulation 46 as the second principal. The provision of sub-regulation (1) of regulation 46 shall not apply in such a case but a statement in the form approved by the Council shall be sent to the Secretary for registration so as to reach within thirty days of the change in the status of the principal or within such extended period as the Secretary may determine.

(3) In every case referred to in sub-regulation (1) or sub-regulation (2) no registration fee shall be payable by the articulated assistant.”;

(vii) in regulation 56, for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely:-

“(1) Every articulated assistant executing the deed of articles for the full period of articulated training prescribed under these regulations, shall be required to complete such articles only with the member, who has engaged him:

Provided that the articles so engaged may, by agreement between the articulated assistant and his principal, be terminated under such exceptional circumstances or conditions, as may be decided by the Council:

Provided further that in case the Principal has not forthwith issued the Certificate prescribed under Regulation 61, on completion or termination of articles, the articulated assistant shall make a request in the form approved by the Council, within 15 days of such completion or termination, to the principal, under intimation to the Secretary by registered or speed post, for issue of such certificate of service and the principal shall in any case, issue the certificate of service within three months of such completion or termination:

Provided also that in cases where no such certificate is received by the Secretary within fifteen days of expiration of the period specified above, the certificate shall be deemed to have been issued on the date specified by the articulated assistant, and an intimation to that effect shall be sent to the principal.”

(viii) in regulation 57, for sub-regulation (4), the following shall be substituted, namely:-

“(4) In every case referred to in sub-regulation (1) or sub-regulation (2) above, the provisions of regulation 46 shall apply ‘mutatis mutandis’ except that no fee shall be payable by the articulated assistant:

Provided that in such cases, the request for permission to be taken as additional articulated assistant under another principal is sent, so as to reach the Secretary within thirty days and the statement in Form approved by the Council is sent so as to reach the Secretary within thirty days from the date of the letter of the Secretary granting such permission:

Provided further that in a case covered under category (c) of sub-regulation (1), the date of commencement of training under fresh articles shall be taken as the date following the date of the death of the principal.”;

(ix) in regulation 59,-

(a) for sub-regulation (2), the following shall be substituted, namely:-

"(2) An articled assistant who has served as an audit assistant before the commencement of his articles shall, in addition to the leave earned under this regulation, be entitled to leave equal to one-half of the leave earned and not availed of as an audit assistant, subject to a maximum of three months.";

(b) for sub-regulation (4), the following shall be substituted, namely:-

"(4) For the purposes of preparing for an examination of the Institute, the articled assistant shall be granted by the principal leave for three months or to the extent due, whichever is less, provided an application for the leave has been made at least fifteen days in advance.";

(c) for clause (1) of *Explanation*, the following shall be substituted, namely:-

"(1) For the removal of doubts, it is clarified that attendance by an articled assistant with the consent of the principal, at a conference, including Course on Information Technology Training, and Course on General Management and Communication Skills or seminar organised by the Institute including a regional council or a students' association or a branch of a regional council for the benefit of assistants, shall be treated as period actually served under articles.";

(x) for regulation 60, the following regulation shall be substituted, namely:-

"60. Working hours of an Articled Assistant.- The minimum working hours of an articled assistant shall be 35 hours per week (excluding lunch break) which shall be regulated by the Principal from time to time, subject to such directions and guidelines, as may be issued by the Council.";

(xi) in regulation 64, for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) The principal imparting training to articled assistants shall ensure that the training imparted is of such an order that the quality and standing of the profession are maintained as well as enhanced. For that purpose, he shall maintain a record about the progress and nature of training imparted by him to the articled assistant, in such form and manner, as may be determined by the Council.";

(xii) in regulation 66, for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) Where a complaint or information of any misconduct or breach of regulation 65 or breach of the Code of Conduct applicable to articled assistants or breach of any of the covenants contained in the articles is received against an articled assistant from his principal or any other person, the President or the Vice-President as the Executive Committee may decide from time to time, may cause an investigation to be made.";

(xiii) in regulation 74, -

(a) for sub-regulation (2), the following shall be substituted, namely:-

"(2) An audit assistant who has served as an articled assistant before the commencement of his audit service shall, in addition to the leave earned under this regulation, be entitled to leave earned and not availed of by him as an articled assistant, subject to a maximum of three months.";

(b) for sub-regulation (4), the following shall be substituted, namely:-

"(4) For the purpose of preparing for an examination of the Institute, the audit assistant shall be granted by the employer leave for three months or to the extent due, whichever is less, provided an application for leave has been made at least fifteen days in advance.";

(c) for the *Explanation*, the following shall be substituted, namely:-

"*Explanation*— For the removal of doubts, it is clarified that attendance by an audit assistant, with the consent of the principal, at a conference, including Course on Information Technology Training, and Course on General Management and Communication Skills or seminar organised by the Institute including a regional council or a students' association or a branch of a regional council for the benefit of students, shall be treated as period actually served as an audit assistant.";

(xiv) in regulation 79, for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) Where a complaint or information of any misconduct or breach of regulation 78 or breach of the Code of Conduct applicable to audit assistants is received against an audit assistant from his employer or any other person the President or the Vice-President as the Executive Committee may decide from time to time, may cause an investigation to be made.";

Dr. ASHOK HALDIA, Secy.

[ADVT III/IV/104/2007/Exty.]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 1st June, 1988 vide number 1-CA(7)/134/88 dated 1st June, 1988 and subsequently amended by the following numbers :-

- (i) Notification No.1-CA(7)/1/89 published in the Gazette of India dated 7th October, 1989,
- (ii) Notification No.1-CA(7)/10/90 published in the Gazette of India dated 19th January, 1991,
- (iii) Notification No.1-CA(7)/11/90 published in the Gazette of India dated 19th January, 1991,
- (iv) Notification No.1-CA(7)/12/91 published in the Gazette of India dated 23rd February, 1991,
- (v) Notification No.1-CA(7)/13/90 published in the Gazette of India dated 2nd February, 1991,

35416/1/97

- (vi) Notification No.1-CA(7)/19/92 published in the Gazette of India, dated 7th March, 1992,
- (vii) Notification No.1-CA(7)/28/95 published in the Gazette of India dated 1st September,1995,
- (viii) Notification No. 1-CA(7)/30/95 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 13th March, 1996,
- (ix) Notification No. 1-CA(7)/31/97 published in the Gazette of India, dated 16th August, 1997,
- (x) Notification No. 1-CA(7)/44/99 published in the Gazette of India dated 26th February, 2000,
- (xi) Notification No.1-CA(7)/45/99 published in the Gazette of India, dated 26th February, 2000,
- (xii) Notification No.1-CA(7)/51/2000 published in the Gazette of India, Extraordinary, dated 17th August, 2001,
- (xiii) Notification No.1-CA(7)/59/2001 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 28th September, 2001,
- (xiv) Notification No.1-CA(7)/64/2002 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 31st March, 2003,
- (xv) Notification No.1-CA(7)/64A/2003 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 4th December, 2003,
- (xvi) Notification No.1-CA(7)/83/2005 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 28th July, 2005,
- (xvii) Notification No.1-CA(7)/84/2005 published in the Gazette of India, dated 17th June, 2006.